International Journal of Multidisciplinary Research and Development

Volume: 2, Issue: 5, 544-547
May 2015
www.allsubjectjournal.com
e-ISSN: 2349-4182
p-ISSN: 2349-5979
Impact Factor: 3.762

Ajit Kumar
(Research Scholar)
Department Of Political Science, University Of Delhi

Correspondence:
Ajit Kumar
(Research Scholar)
Department Of Political Science, University Of Delhi

अपराध का बदलता स्वरूप (Changing Structure of Crime)

Ajit Kumar

प्राचीन भारतीय समाज में धर्म एवं अपराध बहुत निकटता से जुड़े हुए थे A समाज में ऐसी धारणा और विश्वास प्रचलित थे कि जिसका किसी एक व्यक्ति द्वारा उल्लंघन होने पर समाज पर उसका दैविक प्रकोप एवं धर्म का उल्लंघन प्राचीन विधानों के अनुसार अपराध माना गया परन्तु कई बार इसे अपराध ना मानकर पाप की श्रेणी में रखा जाता था, बाद में इन दोनों अवधारणाओं को अलग –अलग समझा गया, जहाँ पाप का निर्णय सामाजिक मूल्यों द्वारा वहीं अपराध का निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाने लगा[1]A दूसरी तरफ अपराध को समझने के लिए फ्रांसीसी अपराधशास्त्री *टार्ट* ने अपराध शब्द का प्रयोग किया जिसका अंग्रेजी रूपांतरण रांग अर्थात अनुचित माना गया, उस काल मे अपराध करने वाले व्यक्ति को अपराधी या दोषी ठहराया जाता था एवं निर्दोष साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरना होता था जो कि मूलतः धर्म और अंध विश्वास पर आधारित थीA अग्नि परीक्षा के अंतर्गत अपराधी के हाथ मे धधकता हुआ लोहे का छड़ बांधकर उसे अग्नि मे नौ फीट चलने के लिए कहा जाता था इसके तीन दिन बाद उसके हाथ की पट्टी खोली जाती थीA यदि यह पाया जाता की उसका घाव पूरी तरह ठीक हो गया तो उसे निर्दोष मानकर छोड़ दिया जाता था अन्यथा उसे अपराधी साबित कर दिया जाता था] इसी तरह अन्य परीक्षा मे अपराधी को पानी मे डुबोकर अपराध के दोष या निर्दोष होने का पता लगाया जाता था[2]A

अपराध का इतिहास (History Of Crime)

अपराध का इतिहास काफी पुराना है] अठारहवी शताब्दी का युग अपराधशास्त्र के वैचारिक उत्थान का समय था] इस शताब्दी मे रूढ़िवादी मान्यता निराधार थी उस युग मे माना जाता था कि मनुष्य ईश्वरीय कृपा के कारण अपराध करता था और अपराध के लिए व्यक्ति स्वयं ही उत्तरदायी होता था] वही **19**वी शताब्दी मे अपराध को कोई बाह्य शक्ति अथवा दैवीय शक्ति] या अन्य शक्ति, द्वारा अपराध माना जाय या नहीं यह बहुत कुछ समाज की नैतिक मान्यतायो तथा आदर्शो पर निर्भर करता थाA इस शताब्दी मे व्यक्ति अपराध के विभिन्न पहलुओं की जाँच-पड़ताल करने लगे इसलिए इस शताब्दी में समय-समय पर अपराध अलग-अलग दिखाई पड़ने लगे[3]A

हालांकि बीसवी शताब्दी भी अपराध को बढ़ाने मे कोई कोर कसर नहीं छोड़ी इस शताब्दी में अपराधों में निरंतर वृद्धि होती रही इसकी वृद्धि होने के साथ-साथ आधुनिकीकरण] औद्योगीकरण] विज्ञान और तकनीकी ज्ञान में भी वृद्धि हुई] सभ्यता का विकास तथा बदलती हुई भौतिकवादी प्रवृति विशेष महत्वपूर्ण रही] उत्पादन और आर्थिक प्रगति के परिणाम स्वरूप मानव प्रवृति] सुखभोग] विलास व ऐश्वर्यमय जीवन बिताने की ओर उनकी मांग बढ़ती जा रही थी अतः व्यक्ति अपने भोग विलास की लालसा पर स्वयं को असमर्थ मानने लगा इसके साथ ही कभी-कभी स्वभाविक अवैध तरीकों का भी सहारा लेने लगा जिसे कानूनी शब्दों में अपराध कहा जाने लगा[4]A

चूंकि अपराधशास्त्री *डेविड लेविंसन* कानूनी पहलू पर बल देते हुए अपराध को परिभाषित किया] उनका मानना था कि ''अपराध वे कार्य है जिन्हें अधिकारी सामान्य कार्य के लिए इतना हानिकारक समझते है और उसका निषेध करते हुए उसके लिए दंड की व्यवस्था करते है" वही *विलिअम मोरिसन* का मानना है की ''अपराध समाज विरोधी व्यवहार है''[5]] *क्लेरेंस ऑफ जेफ्फेरी* का कहना है कि "अपराध वह कार्य है जिसे राज्य ने सामूहिक कार्य के लिए समाज विरोधी घोषित किया"[6]] *हैकरवाल* ने "कानून का उल्लंघन अपराध माना" उन्होंने इसे स्पष्ट करते हुए कहा की इसमें अपराधी के इरादे पर ध्यान दिया जाता है कानून के पीछे पापपूर्ण इरादा कानून के विरुद्ध अपराध होगा] अनजाने में किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं माना जायेगाA

अपराध के सिद्धान्त (Theories Of Crime): हालांकि अपराध के कई सिद्धान्त हैं परंतु उनमे से कुछ सिद्धांतों का नीचे विवेचन किया जा रहा है जो इस प्रकार है।

अपराध का समाजशास्त्रीय सिद्धांत : (theory of social crime) : अपराध के समाजशास्त्रीय सिद्धांत को परिभाषित करने वालों मे रेफेल गेरोफ़ेलो, इमाइल दुर्खिम, रोबर्ट एजरा पार्क, अर्नेस्ट बर्गर, क्लिफ़्फ़ोर्ड शॉ, वाल्टर, रेकलेस फ्रेडरिक थ्रेचर इत्यादि प्रमुख विचारक हैं वहीं अमेरिकी विधिशास्त्रीयों में सदरलैंड का नाम प्रमुख है उन्होने अपराध निवारण से संबन्धित सामाजिक हितों का सिद्धांत प्रतिपादित किया[7]।

बहुस्तरीय या एकीकृत सिद्धांत / आपराधिक आचरण संबधित सिद्धांत : अपराध समाज की ही उत्पति माना जाता है व्यक्ति पर सामाजिक कारणो का इतना प्रभाव पड़ता है कि इन्हीं के कारण वह अपराधिकता मे पड़ता है या उससे विरत रहता है इस सिद्धान्त के समर्थकों में एल्डेन या एलेनर गुलेक इत्यादि प्रमुख विचारक माने जाते हैं उन्होने अपराधी के पूर्व जीवन को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में स्पष्ट किया ।

- अपराधिकता पूर्णतया जन्मतह: अर्जित नहीं होती अपितु व्यक्ति इसे अपने जीवन के अनुभव व व्यवहार के आधार पर सीखता है ।
- व्यक्ति अन्य व्यक्तियों या बुरे व्यक्ति के संपर्क में आकर अवांछित कृत सीखता है जो उसे अपराधी बनने के लिए करणीभूत होते हैं परंतु यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति अवांछित कृत ही सीखेगा लेकिन अधिकांश मामलों में व्यक्ति वैसे कार्य ही सीखता है जो अपराध की दिशा की तरफ ले जाती हो ।
- व्यक्ति पर सर्वाधिक प्रभाव उसके परिजनों तथा परिचितों पर पड़ता है यदि उनमें आपराधिक प्रवृति हो तो उस व्यक्ति को भी अपराधी बन जाने की प्रबल संभावना होती है ।
- व्यक्ति मे अपराधिक प्रवृति उसकी आर्थिक आवश्यकताओं, अर्जन की लालसा, सुख व प्रतिष्ठा इसके अलावा उसकी बाहरी परिस्थितियाँ भी अपराध के कारण उत्पन्न करती है[8]

विभेदक सहचार्य का सिद्धांत : इस सिद्धांत का प्रतिपादन एडविन सदरलैंड द्वारा 1939 में किया, इस सिद्धान्त के अनुसार व्यक्ति अन्य लोगों की संगति एवं सहचार्य में आपराधिक गतिविधियाँ सीखता है। उदाहरण यदि कोई माता-पिता किसी व्यक्ति को भूखा मरने से बचाने के लिए खाद पदार्थो की चोरी का अनुमोदन करते है वे इसे बुरा कार्य नहीं मानते उनके बच्चो पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और कई परिस्थितियो मे अपराध करना उचित मान लेंगे जो आगे चलकर अपराधी भी बन सकता है[9]।

गतिशीलता : इस सिद्धांत का प्रतिपादन *बार्स* और *टीटरस* ने किया उन्होने खासकर आपराधिक वरदातों को स्पष्ट करते हुए इसका विवेचन किया है ।

- आपराधिक विचारों वाले व्यक्ति इन घंटनाओ को पढ़कर स्वयं वैसा करने की कोशिश करते है जिससे उनके पास अधिक से अधिक पैसा हो सके और वह अपने मुताबिक कार्य करे।
- आपराधिक घटनाओ का निरंतर अखबारों मे छपते रहने से लोगो की उसके प्रति गंभीरता समाप्त हो जाती है और कानून के प्रति उनकी रुचि कम हो जाती है क्योकि कानून होने के बाबजूद भी अपराध की दरों मे कोई कमी का न होना[10]।

संस्कृतियों मे अंतर्विरोध : संस्कृतिक अपराध विभिन्न रूपों में विभिन्न स्तरों पर देखी जाती है पुरानी और नयी पीढ़ी के व्यवहार आचरण तथा सोच में अन्तःविरोध जिसके कारण आपसी समन्यवय, आपसी अनबन, विरोध, झगड़े आदि उत्पन्न हो जाते हैं जो अपराधिकता के लिए वातावरण उत्पन्न करते हैं[11]। एक ही परिवार मे अलग-अलग तरह की संस्कृतियाँ विद्यमान होती है 20वीं शताब्दी की संस्कृति और 21वीं शताब्दी की संस्कृति में भिन्नता दिखाई पड़ती है।

पारिवारिक स्थिति : परिवार सबसे पहली शुरुवात मानी जाती है जहां बच्चा अपने जीवन का पहला कदम रखता है, *सदरलैंड* ने माना कि पारिवारिक परिस्थिति का अपराधिकता पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है इसी बात को *डोनन्द टेफ्ट* ने भी स्पष्ट किया और कहा कि परिवार एक ऐसी संस्था है जिसमे बालक की सभी प्राथमिक आवशकतायें पूरी की जाती है, परिवार ही वह संस्था है जहां बच्चा अपने जीवन के प्रत्येक पहलू सीखता है यदि परिवार- जन अपने बच्चों के प्रति उदासीन है और इनकी उपेक्षा है तो निश्चय ही बच्चे माता पिता के स्नेह के अभाव में स्वयं को निराश्रित और उपेक्षित महसूस करने लग जायेंगे और माता-पिता की लापरवाही के कारण अपराधिकता की ओर झूक जायेंगे, वहीं टेफ्ट ने अपराधियों की स्थिति का जिक्र करते हुए माना की[12]

- अपराधी व्यक्ति समान्यतः अपने परिवार जनों तथा परिचितों से दूर रहना पसंद करते हैं
- अपराधियों के निवास स्थान अधिकतर गंदे, अस्वस्थकर तथा अव्यवस्थित तथा उनका जीवन स्तर घटिया होता हैं।
- उनका पारिवारिक जीवन प्रायः विछिन्न रहता है या तो माता-पिता अलग रहते हैं या तो उन्होने अपने पति या पत्नी को तलाक दिया होता है जिसके कारण पारिवारिक विच्छिन्नता भी अपराध का गंभीर कारण मानी जाती है।
- अधिकांश अपराधी अपने भाई बहनो के प्रति द्वेष भावना रखते हैं और उनसे कोई सहानुभूति नहीं होती परुन्तु वे अपने छोटे भाई बहनो को अपराध से दूर रखते हैं वे नहीं चाहते की उनके भाई बहन भी उनही की तरह किसी गिरोह मे शामिल हो जाय[13]
- टेफ्ट ने यह भी माना की यदि माता पिता आपराधिक स्वरूप के नहीं हैं और बच्चे आपराधिक कार्यो को करते हैं जैसे दुकान से कोई वस्तु उठाकर ले जाना और माता पिता का उसके बारे मे मौन रहना अनेक कुख्यात डाकूओं ने अपने बच्चों को इस कुकृत्य से दूर रखकर उन्हें अच्छी शिक्षा देकर सुयोग्य नागरिक बनाने का प्रयास करते हैं इसी प्रकार वेश्यायें प्रायः अपनी संतान को इस कुलुषित वातावरण से पूर्णतः दूर रखती है और उन्हे यह आभास भी नही दिलाना चाहती की वे सब वेश्या की संतान है[14]।

धार्मिक मान्यताए: कई धार्मिक स्थल कई तरह के अनैतिक आचरण के अड्डे बने हुए है जहां ठगी, चोरी, अपहरण, धोखाधड़ी की वरदातें प्रायः होती रहती है अनेक देव स्थानों और मंदिरों के पुजारी धर्म और पुण्य के नाम पर धन एंठने मे लगे रहते हैं उन्हे न कानून का भय है और न ही सरकार का कहीं-कहीं तो यात्रियों से एक निश्चित रकम लिए बिना उन्हे मंदिर की मूर्ति तक नही पहुचने दिया जाता है। इस अवैध धंधे में मंदिर में कार्यरत सभी लोगों के हिस्से बंधे होते है वहीं कुछ स्थानों पर एजेंट कार्यरत है जो लोगों को समझा बुझा कर या फुसलाकर मंदिर तक ले जाते हैं जिसमे उनका भी हिस्सा बंधा होता है[15]।

परिवार पर आर्थिक दशा का गंभीर प्रभाव पड़ता है प्रायः अधिकांशत महिलाए पुरुषो से कंधे से कंधा मिलकर काम कर रही है वही इसके कारण जमाखोरी, भ्रष्टाचार आदि के अपराधो मे वृद्धि तो आवश्यक रूप से आर्थिक प्रगति के कारण ही हो रही है धनी व्यक्ति पैसे के बल पर अपराध के दंड से छुटकारा पा लेने मे असमर्थ होते है इसलिए उच्च वर्ग मे अनेक ऐसे अपराध होते है जिनका

पता नहीं लग पाता गरीबी या दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण कभी कभी महिलायों को वेश्यावृति या घृणितकार्य करने पर बाध्य कर देते है[16]।

प्राचीन अपराध और सफेदपोश अपराध मे अंतर : प्राचीन अपराध वे अपराध कहलाते है मारपीट,चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार व अपहरण इत्यादि वही सफेदपोश अपराध का प्रतिपादन *ई.एच.सदरलैड* ने किया। वह प्रथम विधिवेता थे जिन्होंने सफेदपोश अवधारणा का प्रतिपादन किया उन्होने जनसाधारण को इस बात से अवगत कराया की जैसे रूढ़िवाद अपराधो के अलावा कुछ ऐसी सामाजिक गतिविधिया है जो उच्च वर्ग के लोग अपने व्यवसाय या व्यापार के अनुक्रम मे करते है परंतु जिन्हे अपराधी नहीं माना जाता। इनका पता लगाना कठिन होता है इसके विपरीत रूढ़िगत अपराध प्रत्यक्ष स्वरूप के होते है इनमे हिंसा, बलप्रयोग, संपति का अंतरणए आदि जैसा कोई भौतिक कार्य होता है जिसका सरलता से पता लगाया जा सकता है वही सदरलैंड का मानना था की रूढ़िगत अपराध और सफेदपोश अपराध मे अंतर केवल अपराधियो के स्तर पर करना एक भूल होगी क्योकि समाज के अति प्रतिष्ठित व्यक्ति भी भ्रष्टाचार व्यक्ति भी मिलावट, हेराफेरी, जैसे सफ़ेद पोश अपराध करते है इसलिए सफेदपोश अपराध को सामान्य अपराध से अलग नहीं किया जा सकता है[17]।

सफेदपोश अपराध की परिभाषा : समाज के सम्माननीय तथा प्रतिष्ठित परिस्थिति के व्यक्तियो द्वारा उनके व्यवसाय के दौरान किए गए अपराध को सफेदपोश अपराध कहा जाता है *वाल्टर रेकलेस* ने अपनी पुस्तक *दी क्राइम प्रॉबलम* मे स्पष्ट किया की सफेदपोश अपराध वह अपराध है जो उन व्यापारियो के व्यापारिक प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है जो व्यापार की गतिविधियो एवं नीतियो का निर्धारण करते है, सफेदपोश अपराध समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा प्रतिष्ठा के लिए नही बल्कि लोभ - लालच के लिए किया जाता है।

सफेदपोश अपराध के विभिन्न रूप

यद्यपि सफेदपोश अपराध बहुत ईमानदारी पूर्वक करने का प्रयास किया जाता है जैसे जमाखोरी, कालाबाजारी एवं मिलावट इस अपराध के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है और अपने पड़ोसियो, रिश्तेदारों से ज्यादा संपत्तिवान बनना चाहता है और इस प्रयास मे अधिक से अधिक धन कमाने के चक्कर मे वह सफेदपोश अपराध कर बैठता है व्यापारिक क्षेत्रों मे मिलावट और कालाबाजारी से अधिक लाभ कमाना इसी योजना के उदाहरण है[18]।

चिकित्सा क्षेत्र मे सफेदपोश अपराध : हालांकि चिकित्सा समाज का सेवा करने का एक मौका माना जा सकता इस क्षेत्र मे अवैध रूप से अनुचित पैसा कमाने के चक्कर मे अधिकांश चिकित्सक सफेदपोश अपराध करते है यदि लैंगिक संभोग के परिणाम स्वरूप यदि कोई अविवाहित गर्भधारण कर लेती है और वह अपने इस कुकृत्य को छिपाने और बदनामी से बचाने के लिए वह वह चिकित्सक को अधिक पैसा देकर गर्भपात करवा लेते है। यहाँ तक की अन्य कुछ व्यक्ति भी गर्भपात कराने की तलास मे एजेंट के रूप मे काम करते है इसी प्रकार चोरी, डकैती,या अन्य अपराध करने वाले व्यक्ति अपराध के दौरान गंभीर चोट लगने पर पूर्व निर्धारित डाक्टर के पास जाकर उससे इलाज करवाते है जो उसके कार्यो को गुप्त रखता है और उसके बदले अपराधी से मोटी रकम वसूल लेता है[19]।

1994 मे विशेष कानून अधिनियम पारित किया गया जिसमे प्रसवपूर्व परीक्षण पर रोक लगा दी गयी है परंतु फिर भी अनेक विवाहित युगल चिकित्सक से मिलजुल कर प्रसवपूर्व गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण करा लेते और कन्या होने की दशा मे अवैध तरीके से गर्भपात करा लेते यद्यपि कानून द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया गया है परंतु फिर भी इसे अभी तक रोका नहीं जा सका। इसी प्रकर मरीजो को जानबूझ कर लंबित रखकर अपना धंधा बना लेते है और उनसे पैसा खीचते रहते है यहाँ तक की निदान केन्द्रो से साठ - गाठ करके अनेक चिकित्सक अपने मरीजो के केवल अपनी पसंद के निदान केंद्र से ही रक्त, पेशाब शुगर आदि के परीक्षण हेतु बाध्य करते है तथा किसी अन्य केंद्र को विश्वसनीय नही मानते[20]।

अभियांत्रिक व्यवसाय : सफ़ेदपोश अपराध से जुड़े अपराधो मे अभियांत्रिक व्यवसाय मे संलग्न व्यक्ति भी देखे जाते है जो अपने पदो का अनुचित लाभ उठाते है और निर्माण कार्यकरने वाले लोगो से मिलीभगत करते है बड़े निर्माण कार्यो मे ठेकेदार अधिकारियों को पैसे देकर घटिया क्वालिटी के माल का प्रयोग करते है जिसके कारण निर्माण कार्य निर्धारित स्तर का नहीं हो सकता है[21] अधिकांश स्थानो पर यह देखा जाता है कि जिस पुल या सड़क या निर्माण इंजीनियर द्वारा किया गया है वह पुल या सड़क केवल एक या दो साल मे ही धराशायी हो जाती है क्योकि उसमे घटिया किस्म का तत्व प्रयोग किया जाता है 2014 मे दिल्ली मे एक फ्लाईओवर उदघाटन से पहले से गिर गया ।

विधि व्यवसाय : विधि व्यवसायो को महत्वपूर्ण व्यवसायो मे गिना जाता है परंतु कुछ वर्षो मे इसमे गिरावट देखी गयी विधि के शिक्षण का निरंत गिरता हुआ स्तर और दूसरा मुवकील जुटाने के लिए विधि व्यवसायी द्वारा अपनाए जाने वाले अवांछित तरीके यद्यपि विधि व्यवसायी के धंधे के विशिष्ट स्वरूप के कारण उन्हे कठिन प्रतिपर्स्धा मे टीके रहने के लिए कभी कभी अनियमितताओ का सहारा लेना पड़ता है नोटरी के माध्यम से झूठे हलफनामे अथवा शपथ पत्र बनवाना आम बात है[22]। कई बार यह भी देखने मे आता है कि वकील कुछ ऐसे केस ले लेते है जिसका निपटारा करना आवश्यक होता है परंतु फिर भी उस केस को जानबूझ लंबा किया जाता है जिससे कि उनकी आय की साधन बनी रहे।

शैक्षिक क्षेत्रो मे सफेदपोश अपराध : भारत की अधिकांश शिक्षण संस्थाओ मे विशेषतः निजी प्रबन्धको द्वारा संचालित संस्थाओ मे अनेक भ्रष्ट और अवैध तरीके पहुचाए जाते है ये संस्थाए अपने संबंध मे झूठे ब्योरे प्रस्तुत करके अनुदान के रूप मे बड़ी राशि सरकार से प्राप्त करते है और अपने कर्मचारियो तथा शिक्षको को बहुत ही कम बेतन का भुगतान कर उनसे पूरी राशि पर हस्ताक्षर करवा लेते है। इसके अलावा निजी संस्था डोनेशन के रूप मे बहुत बड़ी रकम वसूल लेती है जिसका कोई लेखा जोखा नहीं रखा जाता है[23] इसके अलावा कई शिक्षण संस्थाओ मे कार्यरत अध्यापकगण अपने विद्यार्थियो को स्कूल या कालेज मे अच्छा ढंग से न पढाकर उन्हे कोचिंग के रूप मे क्लास देते है हालांकि इस प्रकार का प्रतिबंध लगा हुआ है परंतु फिर भी अभी तक यह व्यवसाय धड़ल्ले से चल रहा है।

व्यापार मे होने वाले सफेदपोश अपराध : सदरलैंड का मानना था की विभिन्न प्रतिष्ठित निगमए व्यापारए विज्ञापनो द्वारा मिथ्था कथन, व कापीराइट का उल्लंघन रिश्वत या घूस देकर अपना काम करवाना आदि विशेष कार्य है जिसका प्रयोग व्यापारिक वर्ग के लोग करते है उदाहरण के लिए

- आइसक्रीम या कुल्फी मे सेक्रोल या सेक्रिन आदि के रंग का प्रयोग करना ।
- पनीर मे ब्लाटिंग पेपर या सोपस्टोन के टुकड़े मिलना ।
- पीसी मिर्च या मसलों मे गेरू, खंजोत या चावल की भूसी मिलना ।
- बतासे या अन्य मिठाइयो मे कोलतार या इन्हे आकर्षक दिखाने के लिए हानिकारक रंगो का प्रयोग करना ।
- धनिया मे घोड़े की लीद आदि का प्रयोग[24]।

भारतीय दंडसंहिता अपमिश्रण निवारण अधिनियम, औषधि अधिनियम तथा अफीम अधिनियम के अंतर्गत अपमिश्रण के अपराध के कठोरतम दंड के प्रावधान होने के बाबजूद ये अपराध खूलेआम घटित हो रहे है तथा कानून इन्हे रोकने मे विफल रहा है।

लालच : इस अपराध से जुड़े व्यक्ति के लिए यह आवश्यक हो जाता है की वह पैसाए धनए संपत्ति और अन्य वस्तुओ के लिए किसी भी रूप मे चाहे सरकारी

संस्थायो से या फिर निजी संस्थायो से किसी रूप मे लालच कर सकता है जो अपराध कहलाता है ।

शक्ति और नियंत्रण : इस अपराध से जुड़े व्यक्तियो का यह मानना होता है की पूरी शक्ति मेरे पास ही नियंत्रित रहे जिससे की वह हर तरह का लाभ उठा पाये चाहे निजी स्तर का हो या सार्वजनिक स्तर का हो[25]।

नौकरी सुरक्षा : इस अपराध से जुड़े अपराधी इस रूप मे भी पैसा बनाने का सोचते है जिससे लोगो को नौकरिया दिया जा सके और वे इसके बदले वे अधिक से अधिक पैसा कमा सके।

साफ़ेदपोश अपराध के परिणाम :

वित्तीय हानिया : सफेदपोश अपराध ऐसा अपराध है जिसके माध्यम से हानि अधिक मात्रा मे चुकानी पड़ती है चाहे इसकी तुलना डकैती, लूट, सेंधमारी की जा फिर भी वित्तीय हानिया इससे कही ज्यादा होती है।

नैतिक संस्थान मे सामाजिक नुकसान : सफेदपोश अपराधी सामाजिक रूप से नैतिक संस्थाओ मे सामाजिक रूप से असंगठित होते है जिसके माध्यम से विश्वास का टूटना प्रमुख होता है।

सफेदपोश अपराध रोकने के उपाय : हालांकि सफेदपोश अपराध एसे अपराधो मे गिना जाता है जिसे रशूकदार या लोग करते है परंतु फिर भी इसके रोकथाम के गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए

- इसे रोकने के लिए जनता की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, ईमानदारी, निष्ठा,राष्ट्रीय भावना ये सब चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक है जिन्हे बच्चो मे प्रारम्भ से ही विकसित किया जाना चाहिए।
- सफेदपोश अपराधियो को कारावास की सजा दिये जाने की वजाय कठोर अर्थ दंड दिये जाय जो वास्तविक सजा से कहीं अधिक हो।
- भारतीय दंड संहिता मे सफेदपोश अपराध नाम से नया अध्याय जोड़ा जाना चाहिए ताकि लोग इसे भी समान्य अपराध की तरह माने।
- सफ़ेद पोश अपराधो की सुनवाई करने के लिए विशेष अधिकरण गठित किए जाय।

निष्कर्ष : अपराध हमेशा ही अपराध माना जाना चाहिए चाहे वह सामान्य अपराध हो या फिर सफेदपोश अपराध उस अपराध के लिए जो भी सजा बनती हो संज्ञेय स्तर या असंज्ञेय स्तर उन अपराधियो को दिया जाना चाहिए। जहां समान्य अपराधो मे मारपीट, हत्या, लूटपाट,चोरी, डकैती आदि अपराध माने जाते है वही सफेदपोश अपराधो मे कपट, कूटहरण, न्यासभंग, धोखाधड़ी आदि से संबन्धित माना जाता है इनके लिए विशेष कानून या एजेंसिया होनी चाहिए जिससे की इस तरह के अपराध का निपटारा जल्दी हो सके जिससे आपराधिक न्याय प्रशासन के लिए किसी प्रकार की चुनौती न रहे और समाज अपराध मुक्त व समतायुक्त बनाने का प्रयास किया जा सके ।

References

1. Nand, Paripurna 'Pathology of Crime and Delinquency' Allahabad, Sahitya, 1972.
2. Jeffary, Clarence, 'The Structure of American Criminological Thinking, Criminal justice Volume No 46, January, 1965.
3. Morision, W 'What is Crime Constructing Definition and Perspective in Morision 'Criminology Civilization and New World Order' London, Routlledge, 2006.
4. Glick, Leonard, 'Criminology' Allyn & Bacon Pearson, 2005.
5. Gooptu, Nandini 'The Politics of the Urban Poor in Early Twentieth-Century India' Cambridge university press, 2001.
6. Seigle Larry j. 'Criminology'Wadsworth cengage Learning, 2012.
7. Pranjape, 'Criminology, penology and Victim logy' Central law publication Allahabad, 2012.
8. Gilbert 'White-Collar Crime: What Is It?', in Kip Schlegel and David Weisburd (eds.) White-Collar Crime Reconsidered, Boston, Northeastern University Press, 1992.
9. j seigle, Larry 'Criminology'wadsworth cengage learning, 2012.
10. Thernstrom, Stephan. Poverty, Planning, and Politics in the New Boston: The Origins of ABCD. New York: Basic Books, 1969.
11. teft, Donald 'Criminology' (forth edition) Gilbert 'White-Collar Crime', in Gary W. Potter (ed.) Controversies in White Collar Crime Cincinnati, OH: Anderson Publishing Co, 2002.
12. Sudarland, Edwin, is White Collar crime a Crime? American sociology review 10 April, 1949.
13. Gaund Kd. 'Criminal Law and Criminology', 2003.
14. M Parent, Vandebeek CA, Gemino AC. Building Citizen Trust through e-Government, Government Information Quarterly, 2005.
15. Kim SE. The Role of Trust in the Modern Administrative State: An Integrative Model. Administration & Society, 2005.